भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 3735

उत्तर देने की तारीख: 11.08.2026

भिक्षुक गृह

3735. डॉ. एम. पी. अब्दुस्समद समदानी:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने एम. एस. पाटर बनाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य-क्षेत्र दिल्ली सरकार (2025) मामले में राज्य द्वारा संचालित भिक्षुक गृहों में राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य, पोषण संबंधी और जीवन स्तर को अनिवार्य करने वाले उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का संज्ञान लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भिक्षुक/आश्रय गृहों की देखभाल, पुनर्वास और प्रबंधन पर एकसमान मॉडल दिशा-निर्देश अधिसूचित किए हैं और इनमें रहने वालों का पता लगाने के लिए एक केंद्रीकृत डिजिटल डेटाबेस स्थापित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक दो वर्षों में अवसंरचना संपरीक्षा लागू करने और अत्यधिक भीड़भाड़ को रोकने के लिए सख्त अधिभोग सीमाएं सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) इन संस्थानों को कारागारीय केंद्रों से सामाजिक न्याय और पुनर्वास के स्थलों में परिवर्तित करने के लिए स्माइल योजना के अंतर्गत धनराशि के आवंटन और प्रदान किए गए व्यावसायिक प्रशिक्षण का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): सरकार ने एम.एस. पाटर बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य (सिविल अपील सं. 2025 की 12216) मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का संज्ञान लिया है। 12.09.2025 के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए, मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय परामर्शदात्री समिति (एनसीसी) और राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के माध्यम से भिक्षुक गृहों के लिए मॉडल दिशानिर्देश तैयार किए हैं। आवश्यक अनुपालन और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, 13.04.2026 के पत्र के माध्यम से सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ये दिशानिर्देश परिचालित किए गए थे।

दिशानिर्देश तैयार करने में सहायता के लिए, मंत्रालय ने राष्ट्रीय परामर्शदात्री समिति (एनसीसी) गठित की। इस समिति में विधि एवं न्याय मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों और इस क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे।

मॉडल दिशानिर्देशों में, भिक्षावृत्ति के कार्य में लिप्त व्यक्तियों के मानवीय, गरिमापूर्ण और अधिकारों पर आधारित पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक ढांचे की व्यवस्था है। ये भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्तियों के गृहों के लिए बुनियादी ढांचे और क्षमता, निवारक स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता, पोषण और खाद्य सुरक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और पुनर्वास, कानूनी सहायता और जागरूकता, बच्चे और लिंग संवेदनशीलता, जवाबदेही, निरीक्षण, निगरानी, कार्यान्वयन और अनुपालन को कवर करते हुए न्यूनतम मानक निर्धारित करते हैं।

(ख): मंत्रालय ने 13.04.2026 के पत्र के माध्यम से सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भिक्षावृत्ति के कार्य में लिप्त व्यक्तियों के गृहों/आश्रय गृहों की देखभाल, पुनर्वास और प्रबंधन पर एक जैसे मॉडल दिशानिर्देश तैयार करके परिचालित किए हैं, ताकि उनका आवश्यक अनुपालन और प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन किया जा सके।

इसके अलावा, एक विशेष मोबाइल ऐप तैयार किया गया है और इसे लागू करने वाले शहरों के साथ लॉगिन की जानकारी साझा की गई है। इसका उद्देश्य भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्तियों की पहचान और प्रोफाइलिंग के लिए एक व्यापक सर्वेक्षण करना है, ताकि आजीविका और उद्यम हेतु लाभवंचित व्यक्तियों को सहायता (स्माइल) – भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्तियों का व्यापक पुनर्वास' (स्माइल-भिक्षावृत्ति) योजना के तहत उनका पुनर्वास सुनिश्चित किया जा सके।

मॉडल दिशानिर्देशों में यह भी प्रावधान है कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एक डिजिटल निगरानी प्रणाली स्थापित करेंगे। इस प्रणाली के माध्यम से छुटकारा दिलाए गए लोगों/निवासियों के प्रवेश, स्वास्थ्य की स्थिति, कौशल विकास और प्रशिक्षण, पुनर्वास, रिहाई, फ़ॉलो-अप और परिवार से मिलन से जुड़ी मानक सूचना एकत्र की जाएगी, जिससे प्रभावी निगरानी हो सकेगी।

इसके अलावा, राष्ट्रीय ऑनलाइन पोर्टल (https://www.dosje.gov.in/organisation/support-for-marginalized-individuals-for-livelihood-and-enterprise-smile/) स्माइल-भिक्षावृत्ति योजना से जुड़े डेटा और सूचना के लिए एक केन्द्रीयकृत कोष के रूप में कार्य करता है। यह समय-समय पर रिपोर्टिंग और योजना से संबंधित सूचना को बनाए रखने के माध्यम से, इसे लागू

करने वाले राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में योजना के कार्यान्वयन की रियल-टाइम निगरानी में सहायता करता है।

(ग): मॉडल दिशानिर्देशों के अनुसार, भिक्षावृत्ति के कार्य में लिप्त प्रत्येक व्यक्ति/आश्रय गृह का कम से कम प्रत्येक दो वर्ष में एक बार किसी तीसरे पक्ष (थर्ड-पार्टी) से इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक लेखापरीक्षा किया जाना चाहिए। इस लेखापरीक्षा में स्ट्रक्चरल सुरक्षा, दिव्यांगों और वृद्धजनों के लिए अनुकूलता, बिजली व्यवस्था, साफ-सफाई, जलापूर्ति और वहां रहने वालों की सुरक्षा और संरक्षा शामिल होंगी। जिला समाज कल्याण अधिकारी (डीएसडब्ल्यूओ) या निर्दिष्ट अधिकारी नियमों के अनुपालन की निगरानी करेंगे और लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई कमियों में समय पर सुधार करना सुनिश्चित करेंगे।

मॉडल दिशानिर्देशों में भिक्षावृत्ति के कार्य में लिप्त व्यक्तियों के गृहों/आश्रय गृह में भीड़-भाड़ को रोकने और वहां सम्मानजनक रहने की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए स्थान के न्यूनतम मानक भी निर्धारित किए गए हैं।

(घ): स्माइल-भिक्षावृत्ति योजना की शुरुआत (23.10.2023) से लेकर 31.07.2026 तक, इस योजना के तहत कुल 45.59 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इसमें कार्यान्वयन प्राधिकारियों/शहरों को जारी किए गए 40.04 करोड़ रुपये और प्रशासनिक और योजना से संबंधित अन्य व्यय के लिए शेष राशि शामिल है।

इस योजना के तहत, पात्र लाभार्थियों को उनकी पात्रता, आयु, शारीरिक और मानसिक स्थिति और स्थानीय आजीविका के अवसरों के आधार पर व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि उनका स्थायी पुनर्वास और मुख्यधारा में शामिल होना सुनिश्चित हो सके। इस तरह के प्रशिक्षण में बढ़ई का काम, सिलाई, हाउसकीपिंग, सामुदायिक शौचालय का प्रबंधन, साफ़-सफ़ाई सेवाएं, हेयर कटिंग, सुरक्षा सेवाएं, कुकिंग, बागवानी, ई-रिक्शा चलाना/ऑपरेट करना और स्थानीय स्तर पर आवश्यक दूसरे कार्य शामिल हैं। लाभार्थियों को सामुदायिक या समूह-आधारित स्वयं-सहायता समूह बनाने में सहायता दी जाती है। साथ ही, उन्हें बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से जोड़ा जाता है ताकि वे स्वरोजगार और आय बढ़ाने वाली अन्य गतिविधियां शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकें। इन गतिविधियों में टिफिन स्टॉल/फूड वेंडिंग कार्ट, सब्जी बेचने वाली गाड़ियां और मसाले, अचार, स्नैक्स तथा पापड़ बनाने सहित समूह-आधारित अन्य उद्यम शामिल हैं।

दिनांक 31.07.2026 तक, स्माइल-भिक्षावृत्ति योजना के तहत कुल 10,446 लोगों (जिनमें 2,824 बच्चे शामिल हैं) का पुनर्वास किया गया है। इस योजना के तहत छुटकारा दिलाए गए

बच्चों को उनकी आयु के हिसाब से देखभाल, शिक्षा, काउंसलिंग और परिवार के साथ फिर से मिलाने की सुविधा दी जाती है; इसलिए, उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल नहीं किया जाता है। तदनुसार, जारी की गई निधियां और योजना के तहत पुनर्वास किए गए 7,622 वयस्क लाभार्थियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण संलग्नक में दिया गया है।

संलग्नक

'भिक्षुक गृह' के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3735, जिसका उत्तर दिनांक 11.08.2026 को दिया जाना है, के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक

स्माइल-भिक्षावृत्ति योजना के तहत जारी की गई निधियां और पुनर्वास किए गए वयस्क लाभार्थियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण (31.07.2026 तक)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी की गई निधियां (₹ लाख)	पुनर्वास किए गए वयस्क लाभार्थियों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	178.09	466
2.	अरुणाचल प्रदेश	45.44	62
3.	असम	207.56	472
4.	बिहार	145.39	364
5.	चंडीगढ़ (यूटी)	43.09	39
6.	छत्तीसगढ	97.40	0
7.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	306.07	139
8.	गोवा	0.00	0
9.	गुजरात	212.49	293
10.	हरियाणा	70.43	0
11.	हिमाचल प्रदेश	62.22	0
12.	जम्मू-कश्मीर	94.78	434
13.	झारखंड	89.57	0
14.	कर्नाटक	305.45	63
15.	केरल	210.89	418
16.	लद्दाख	14.61	0
17.	मध्य प्रदेश	157.37	1135
18.	महाराष्ट्र	121.78	817
19.	मणिपुर	14.61	0
20.	मेघालय	86.92	0
21.	मिजोरम	72.31	50
22.	नागालैंड	57.70	22
23.	ओडिशा	147.28	186
24.	पुदुचेरी	90.65	171
25.	पंजाब	61.43	0
26.	राजस्थान	132.26	0
27.	सिक्किम	38.82	0
28.	तमिलनाडु	467.83	1557
29.	तेलंगाना	74.56	50
30.	त्रिपुरा	14.61	0

31.	उत्तर प्रदेश	281.35	884
32.	उत्तराखंड	86.18	0
33.	पश्चिम बंगाल	14.61	0
कुल		**4003.75**	**7622**

नोट: पुनर्वास के आंकड़े केवल वयस्क लाभार्थियों से संबंधित हैं। इस योजना के तहत छुटकारा दिलाए गए बच्चों को उनकी आयु के हिसाब से देखभाल, शिक्षा, काउंसलिंग और परिवार के साथ फिर से मिलाने की सुविधा दी जाती है, इसलिए उन्हें उपर्युक्त दिए गए आंकड़ों में शामिल नहीं किया गया है।
